बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

पत्रांक :– बु0वि0 / सम्ब0 / 2015 / आ0 / 710-716 दिनांक :– 30 / 06 / 2015

सेवा में,

प्रबन्धक,
रामेश्वर प्रसाद विधि महाविद्यालय,
पचनेही, बांदा।

विषयः– **रामेश्वर प्रसाद विधि महाविद्यालय, पचनेही, बांदा** को स्नातक स्तर पर विधि त्रिवर्षीय विषयों / पाठ्यक्रमों में दिनांक 01.07.2015 से सशर्त सम्बद्धता की सहर्ष अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय की सम्बद्धता के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अनुसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन के पत्र स0 सम्ब0–1146 / सत्तर–2–2014–16(258) / 2013 दिनांक 01 अगस्त, 2014 में दिये गये निर्देशानुसार तथा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014, (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) में दी गयी व्यवस्था के अधीन **रामेश्वर प्रसाद विधि महाविद्यालय, पचनेही, बांदा** को स्नातक स्तर पर विधि त्रिवर्षीय विषयों / पाठ्यक्रमों में सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान करने के लिये दिनांक 29.06.2015 को कुलपति जी की अध्यक्षता में गठित सम्बद्धता समिति की बैठक में निरीक्षण मण्डल द्वारा की गई संस्तुति का परीक्षण किया गया।

परीक्षणोपरान्त सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर तथा कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 30.06.2015 के अनुमोदनोपरान्त माननीय कुलपति जी ने **दिनांक 01.07.2015 से** सम्बद्धता की सहर्ष अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करने की कृपा की है।

1. प्रवक्ताओं का सम्पूर्ण डाटा बैंक एकाउन्ट के साथ कम्प्यूटर में अपलोड अविलम्ब कर लिया जाय ताकि प्रवेश हेतु सीट आवंटन का कार्य दिनांक 08 जुलाई, 2015 तक पूर्ण किया जा सके।
2. उक्त महाविद्यालय विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
3. उक्त महाविद्यालय शासनादेश स0 2851 / सत्तर–2–2003–16(92) / 2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगा। रिट याचिका स0 61859 / 2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन / नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश स0–522 / सत्तर–2–2013–2(60) / 2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का भलीभांति अनुपालन एवं अनुमोदित शिक्षकों के नियुक्ति पत्र की प्रति, अनुबन्ध पत्र की प्रति एवं कार्यभार ग्रहण आख्या तथा शिक्षकों को एकाउन्टपेयी चैक द्वारा वेतन भुगतान सुनिश्चित करेगा।
4. यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया

जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत महा
प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, झांसी/चित्रकूट मण्डल।
2. समाजकल्याण अधिकारी, बांदा।
3. उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय)।
4. डा0 दीपक तोमर, सिस्टम एनालिस्ट।
5. कुलपति जी के निजी सचिव को कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
6. कुलसचिव के आशुलिपिक।
7. एजेन्सी प्रतिनिधि।

कुलसचिव